तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	07/11/2025 पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी दी गई पत आदेश की पालना में दिनांक 12/11/25 को पेश हो। [illegible] पेशकार
12/11/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उप० व उभय पक्ष द्वारा मूल प्रार्थना पत्र पर बहस की गयी। वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र पत्रावली दिनांक 14/11/2025 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)
	14/11/25 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप० वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र दिनांक 27/11/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)
	27/11/25 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप० प्रार्थना पत्र अन्तर्गत [illegible] को स्वीकार किया जाता है। पत्रावली बाद तामील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)

न्यायालय उपजिला कलक्टर एंव उपजिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई, जिला दौसा

मु.न. 35/2025
दर्ज दिनांक 28.04.2025
निर्णय दिनांक 27.11.2025

उनवान

1. रामजीलाल पुत्र बिरदया
2. गिर्राज पुत्र बिरदया
3. उर्मिला पुत्री गंगाराम
4. कमलचन्द पुत्र गंगाराम
5. रामचन्द्र पुत्र गंगाराम
6. कमोद पुत्री गंगाराम
7. गिर्राजी देवी पुत्री गंगाराम
8. बच्ची देवी पुत्री गंगाराम
9. सविता पुत्री गंगाराम
10. नर्बदा पत्नि गंगाराम
11. रज्जो देवी पत्नि प्यारेलाल

समस्त जाति गुर्जर निवासी रलावता तहसील बांदीकुई जिला दौसा, राजस्थान ।

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार बांदीकुई तहसील बांदीकुई जिला दौसा।
2. ग्यारसा पुत्र गोपी
3. रामकरण पुत्र गोपी
4. छोटेलाल पुत्र रामकिशन
5. राजाराम पुत्र रामकरण
6. नारायण सिंह पुत्र रामकिशन
7. रूपसिंह पुत्र रामकिशन
8. बिरज्या पुत्र गैदा

समस्त जाति गुर्जर निवासी रलावता तहसील बांदीकुई जिला दौसा, राजस्थान ।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवन्यु एक्ट बाबतस्थाई सीमा चिन्ह (पत्थर गढी)

निर्णय

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर अर्न्तगत धारा 128 लैण्ड रेवन्यु एक्ट बाबत स्थाई सीमा चिन्ह का न्यायालय में जरिये वकील पेश किया गया जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:– प्रार्थीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि खाता संख्या नया 34 पुराना 36 खसरा नम्बर 165 रकबा 0.44 हैक्टे, खसरा नम्बर 466 रकबा 0.11 हैक्टे, खसरा नम्बर 481 रकबा 0. 80 हैक्टे, खसरा नम्बर 489 रकबा 0.53 हैक्टे, खसरा नम्बर 490 रकबा 0.05

Scanned with OKEN Scanner

हैक्टे, खसरा नम्बर 491 रकबा 0.30 हैक्टे, खसरा नम्बर 512 रकबा 0.41 हैक्टे, खसरा नम्बर 513 रकबा 0.04 हैक्टे, खसरा नम्बर 514 रकबा 0.60 हैक्टे, खसरा नम्बर 515 रकबा 0. 48 हैक्टे, खसरा नम्बर 516 रकबा 0.43 हैक्टे कुल किता 11 कुल रकबा 4.19 हैक्टेयर वाके ग्राम रलावता पटवार हल्का रलावता तहसील बांदीकुई जिला दौसा प्रार्थी संख्या 01 व 03 लगायत 10 की कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि है एंव खाता संख्या नया 40 पुराना 42 खसरा नम्बर 464 रकबा 0.59 हैक्टे प्रार्थी संख्या 01 लगायत 02 एंव प्रार्थी संख्या 11 की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि है। नकल जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि वर्णित चरण नम्बर 01 प्रार्थना पत्र के भूमि खाता संख्या नया 34 पुराना 36 खसरा नम्बर 165 रकबा 0.44 हैक्टे, खसरा नम्बर 466 रकबा 0.11 हैक्टे, खसरा नम्बर 481 रकबा 0.80 हैक्टे, खसरा नम्बर 489 रकबा 0.53 हैक्टे, खसरा नम्बर 490 रकबा 0.05 हैक्टे, खसरा नम्बर 491 रकबा 0.30 हैक्टे, खसरा नम्बर 512 रकबा 0.41 हैक्टे, खसरा नम्बर 513 रकबा 0.04 हैक्टे, खसरा नम्बर 514 रकबा 0. 60 हैक्टे, खसरा नम्बर 515 रकबा 0.48 हैक्टे, खसरा नम्बर 516 रकबा 0.43 हैक्टे कुल किता 11 कुल रकबा 4.19 हैक्टेयर भूमि से लगते हुए अप्रार्थी नम्बर 08 की खातेदारी की भूमि खाता संख्या नया 115 पुराना 107 का खसरा नम्बर 468 तथा अप्रार्थी संख्या 04 लगायत 07 की खाता संख्या नया 165 पुराना 152 में दर्ज खसरा नम्बर 467/1397 एंव अप्रार्थी संख्या 02 व 03 की खाता संख्या नया 50 पुराना 51 का खसरा नम्बर 467 की भूमि स्थित . है। नकल जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र है। अप्रार्थीगण झगडालू किस्म के व्यक्ति है। प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि में सीमा अप्रार्थीगण की भूमि से मिली हुई होने के कारण काश्त के समय नाजायज हैरान परेशान करते है। जिसके कारण प्रार्थीगण ने सीमाज्ञान भी करवाया उसके बावजूद भी सीमाओं का लगातार अप्रार्थीगण उलंघन कर रहे है तथा धीरे-धीरे करके प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि के डौले को हर साल सिंचाई व बुवाई में कम करके प्रार्थीगण को हैरान परेशान करते है तथा मना करने पर लडाई झगडे पर आमादा हो जाते है तथा पत्थरगढी भी नहीं करने दे रहे है। पक्षकारान की आराजीयात की सीमाओं के विवाद के स्थाई समाधान के लिये प्रार्थीगण की आराजीयात की पत्त्थरगढी किया जाना कानूनन न्यायोचित है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि खाता संख्या नया 34 पुराना 36 खसरा नम्बर 165 रकबा 0.44 हैक्टे, खसरा नम्बर 466 रकबा 0.11 हैक्टे, खसरा नम्बर 481 रकबा 0.80 हैक्टे, खसरा नम्बर 489 रकबा 0.53 हैक्टे, खसरा नम्बर 490 रकबा 0.05 हैक्टे, खसरा नम्बर 491 रकबा 0.30 हैक्टे. खसरा नम्बर 512 रकबा 0.41 हैक्टे, खसरा नम्बर 513 रकबा 0. 04 हैक्टे, खसरा नंम्बर 514 रकबा 0.60 हैक्टे, खसरा नम्बर 515 रकबा 0.48 हैक्टे, खसरा नम्बर 516 रकबा 0.43 हैक्टे कुल किता 11 कुल रकबा 4. 19 हैक्टेयर की नक्शा सीट अनुसार जरिये अप्रार्थी संख्या 01 मौके पर पत्थरी गढ़ी की जाकर स्थाई चिन्ह स्थापित करवाया जाना न्यायोचित एंव लाजमी है। प्रार्थीगण ने अपनी आराजीयात का सीमाज्ञान करवा रखा है जो तहसीलदार बांदीकुई के आदेश की पालना में हल्का पटवारी ने पक्षकारान की मौजूदगी में सीमाज्ञान मौके पर किया नकल मौका पर्चा सीमाज्ञान संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि वर्णित चरण नम्बर 01 प्रार्थना पत्र स्थित वाके ग्राम रलावता की सीमाओं को लेकर अप्रार्थीगण संख्या 02 लगायत 08 अकारण ही विवाद करते रहते है अन्य पडौसा खातेदारों से प्रार्थीगण की भूमि की सीमाओं को लेकर कोई विवाद नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा भूमि का सीमाज्ञान कराये जाने के बावजूद भी अप्रार्थीगण संख्या 02 लगायत 08 मौके पर विवाद कर रहे है तथा प्रार्थीगण को तारबन्दी भी नहीं करने दे रहे है। इस कारण प्रार्थीगण को माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष यह प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी पेश करना लाजमी

αԿ६ –

Scanned with OKEN Scanner

हुआ है ताकि प्रार्थीगण की कृषि भूमि की सीमाओं का अप्रार्थीगण संख्या 02 लगायत 08 के साथ स्थाई समाधान हो सके। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से न्यायालय हाजा को प्रार्थना पत्र की सुनवाई का पूरा पूरा अधिकार प्राप्त है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या 01 को आदेशित फरमाया जावे की वह स्वंय मौके पर प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि के भूमि खाता संख्या नया 34 पुराना 36 खसरा नम्बर 165 रकबा 0.44 हैक्टे, खसरा नम्बर 466 रकबा 0.11 हैक्टे, खसरा नम्बर 481 रकबा 0.80 हैक्टे. खसरा नम्बर 489 रकबा 0.53 हैक्टे, खसरा नम्बर 490 रकबा 0. 05 हैक्टे, खसरा नम्बर 491 रकबा 0.30 हैक्टे, खसरा नम्बर 512 रकबा 0.41 हैक्टे, खसरा नम्बर 513 रकबा 0.04 हैक्टे, खसरा नम्बर 514 रकबा 0.60 हैक्टे, खसरा नम्बर 515 रकबा 0.48 हैक्टे. खसरा नम्बर 516 रकबा 0.43 हैक्टे कुल किता 11 कुल रकबा 4. 19 हैक्टेयर वाके ग्राम रलावता तहसील बांदीकुई की सीमाओं की अतिशिघ्र पत्थर गढ़ी करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई। अप्रार्थी संख्या 02 लगायत 7 की ओर से निम्न जवाब पेश किया गयाः– प्रार्थना पत्र का जिमन नं० 1 अभिलेखिय होने से स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का जिमन नं0 2 अभिलेखीय होने से स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का जिमन नं० 3 गलत है स्वीकार नहीं है प्रार्थीगण के पडौसी खातेदार काश्तकार है अप्रार्थीगण ने अपनी आराजी के चारो ओर पुख्ता बाण्उड्रीवाल निर्मित की हुयी है जो आज से 30–35 वर्ष पूर्व निर्मित कर ली थी प्रार्थीगण का यह कथन की अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की डोल वर्ग को तोडकर अतिक्रमण कर सीमा का उल्लंघन कर रहे है कतई असत्य बेबुनियाद है अप्रार्थीगण ने कभी भी प्रार्थीगण की काश्त भूमि का उल्लंघन नहीं किया ना ही प्रार्थीगण को ऐलानिया धमकी दी है अप्रार्थीगण मुताविक राजस्व रिकार्ड वर्तमान जमाबन्दी नक्सा सीट अनुसार मौके पर सही स्थान पर बैठे है। प्रार्थना पत्र का जिमन नं0 4 जानकारी के अभाव मे अस्वीकार है प्राथीगण ने अप्रार्थीगण की गैर मौजूदगी में सीमा ज्ञान करवाया गया ना ही अप्रार्थीगण को सीमाज्ञान से पूर्व तहसीलदार महोदय बादीकुई ने कोई नोटिस या सूचना नहीं दी है ना ही सीमा ज्ञान रिपोर्ट पर हस्ताक्षर व अगुठा निशानी नही की हुयी है राजस्व भू राजस्व अधिनियम प्रावधानो के अनुसार किसी भी मौका रिपोर्ट को दोनो पक्षो की मौजूदगी में तैयार किया जाना विधि सम्मत है ओर यदि पडौसी काश्तकार से सीमा का विवाद है तो ऐसी परिस्थिति में दोनो पक्षो की मौजूदगी में आराजी भूमि का सीनाज्ञान करवाया जाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र का जिमन नं0 5 स्वीकार नहीं है अप्रार्थीगण का प्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद कतई कोई सम्भावना नहीं रही है क्योकि अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 02 में वर्णित सम्पूर्ण आराजी भूमि के चारो ओर आज 30–35 वर्ष पूर्व ही पुख्ता 6 फुट उची बाउण्ड्रीवाल का निमार्ण किया हुआ है।प्रार्थना पत्र का जिमन नं0 6 कानूनी है। प्रार्थना पत्र का जिमन नं0 7 कानूनी है। प्रार्थीगण के द्वारा चाही गई इस्तदुवा स्वीकार नहीं है।

अतिरिक्त कथन प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं० 1 के साथ मिलकर अपनी आराजी भूमि का एक तरफा सीमा ज्ञान करवाकर बिना वजह सीमा विवाद होना जाहीर किया है जबकि मौके पर सीमा विवाद होने की कोई सम्भावना नहीं है क्योकि अप्राथागण अपनी सम्पूर्ण आराजी भूमि पर बाउण्ड्रीवाल कर रखी है पत्थर गढी से पूर्व समक्ष राजस्व अधिकारी से दोनो पक्षो की मौजूदगी में पुनः सीमा ज्ञान करवाया जाकर पत्थर गढ़ी की कार्यवाही अमल में लायी जावे। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विधिक रूप से पोषणीय नही होने के कारण मय हर्जा खारिज फरमाया जावे।

[illegible]

Scanned with OKEN Scanner

पत्रावली

बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का कथन किया गया प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा जवाब को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया गया। बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया एवं पत्रावली अवलोकन किया ग प्रार्थीगण का कथन है कि खातेदारी की भूमि के भूमि खाता संख्या नया 34 पुराना 36 खसरा नम्बर 165 रकबा 0.44 हैक्टे, खसरा नम्बर 466 रकबा 0.11 हैक्टे, खसरा नम्बर 481 रकबा 0.80 हैक्टे. खसरा नम्बर 489 रकबा 0.53 हैक्टे, खसरा नम्बर 490 रकबा 0. 05 हैक्टे, खसरा नम्बर 491 रकबा 0.30 हैक्टे, खसरा नम्बर 512 रकबा 0.41 हैक्टे, खसरा नम्बर 513 रकबा 0.04 हैक्टे, खसरा नम्बर 514 रकबा 0.60 हैक्टे, खसरा नम्बर 515 रकबा 0.48 हैक्टे. खसरा नम्बर 516 रकबा 0.43 हैक्टे कुल किता 11 कुल रकबा 4.19 हैक्टेयर वाके ग्राम रलावता तहसील बांदीकुई की सीमाओं की अतिशिघ्र पत्थर गढ़ी करने की कृपा करें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में मौका पर्चा दिनांक 07.06.2024 की छाया प्रति मौजुद है। जिसमें खसरा नम्बर 464,481,489,512,514,515,516, का सीमाज्ञान किया जाना अंकित है। आई एलआर पटवारी हल्का रिपोर्ट जो तहसीलदार को पेश की गई है जिसमें भी खसरा नम्बर 464,481,489,512,514,515,516 का सीमा ज्ञान दिनांक 07. 06.2024 किया जाना व्यक्त किया गया है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर सीमाज्ञान किये गये खसरा नम्बरान की पत्थर गढ़ी करवाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अत आदेश है कि प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र धारा 128 का आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर दिनांक 07.06.2024 को किये गये सीमाज्ञान अनुसार भूमि ग्राम रलावता खसरा नम्बर 464,481,489,512,514,515,516 में तहसीलदार बांदीकुई पत्थरगढी करवाये। प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा आज दिनांक 27.11.2025 को खुले न्यायालय में निर्णय सुनाया गया।

27/11/25

(रामसिंह राजावत)
आरएएस
उपखंड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner